तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/1/25	पीठासीन अधिकारी के ... दि. 22.1.15 ... से पूर्ववत दि. 22.1.15 ... को प्रस्तुत हो। रीडर आबकारी अधिकारी ...
22.1.15	पत्रावली पेश हुई, बहस उभयपक्ष पर न्यायालय द्वारा मनन किया गया। दौराने बहस अधि. प्रार्थी LR 136 द्वारा न्यायालय में निवेदन किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट के द्वारा वर्णित आराजी क्र. ... 326 को जो पूर्व में 27 बीघा 01 बिस्वा था कोई विधिक वैध अधिकार के 25.01 बीघा दर्ज कर दिया। साथ ही सेटलमेंट अधिकारियों ने वादीगण के पूर्वज गोपिया वल्द ओंकार का नाम खाते से हटा दिया है, जबकि गोपिया का नाम गोविन्दा के साथ संवत 2016 एवं बाद में 1/2 दर्ज करना चाहिए था। अतः प्रार्थनापत्र LR 136 स्वीकार फरमाया जाकर चालू राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 25.01 बीघा के स्थान पर 27.01 बीघा दर्ज किया जाकर प्रार्थी क्रम 1 ता 4 को हिस्सा 1/36 प्रार्थी क्रम 5 का हिस्सा 1/36 प्रार्थी क्रम 6 का हिस्सा 1/36 तथा प्रार्थी क्रम 7 का हिस्सा 1/3 व प्रार्थी क्रम 8 का हिस्सा 1/12 चालू राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे और मृतक गोविंदा के वारिसान मय खातेदारान का हिस्सा भी दुरस्त किया जावें। दौराने जवाबी बहस अधि. अप्रार्थी द्वारा न्यायालय को निवेदन किया गया कि LR 136 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार केवल लिपिकीय भूल को सही किया जा सकता है। सेटलमेंट का लगभग 70 वर्ष का समय हो चुका है और पिछले 70-80 वर्षों से अप्रार्थीगणों का ही कब्जा चला आ रहा है। अतः LR 136 सिर्फ Summary Trial है इसके तहत खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा नहीं किया जा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकती है तथा वादीगण यदि अपने खातेदारी अधिकारो की उद्घोषणा चाहते है और रकबे को कम/ज्यादा करवाना चाहते है तो उन्हे RTA 88 के तहत पृथक वाद दायर कर साक्ष्य की स्तर पर यह साबित करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करवाना चाहिए न कि LR 136 के माध्यम से short cut अपनाते हुए। प्रस्तुत संदर्भ में अपील/LR/6933/2011/उदयपुर में स्पष्ट निर्देश है कि " भू प्रबंध के दौर हुई गलतियों का सुधार उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारो के प्रभावित करते हुए किया जा सकेगा लेकिन LR136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारो में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनो के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा। " समरी ट्रायल से गलतियों का सुधार करना नियमित वाद का विकल्प नहीं है समरी व्यवस्था गलतियों के सुधार के लिए की गई है जहां परस्पर खातेदारी आ बिना वहां उन्हे सक्षम न्यायालयों से ही निर्णित कराना होगा। अतः बहस उभयपक्ष के मनन व अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रदर्शन मार्गदर्शन के अवलोकन व पत्रावली पर मौजूद तथ्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र में वांछित अनुतोष LR136 के तहत प्रदान नहीं किये जा सकने के कारण प्रार्थनापत्र LR 136 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। [signature] 2/1/25	

उपखण्ड अधिकारी